



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 2016/माघ 19, 1937

No. 88]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 2016/MAGHA 19, 1937

कारपोरेट मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 148(अ).—केंद्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28घ की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 29क की उपधारा (2) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006 के नियम 9 के उपनियम (2) में खंड (i) (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ix) केंद्रीय सरकार द्वारा बोर्ड में नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्य, केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन के बिना कोई विदेशी दौरा नहीं करेंगे। जब कभी ऐसा दौरा प्रस्तावित होगा तो प्रस्ताव में दौरे के लिए पूर्ण औचित्य केंद्रीय सरकार के विचार हेतु दिया जाना चाहिए, जिसके अंतर्गत उसका प्रयोजन, आवश्यकता और दौरे का प्रत्याशित परिणाम है।"

[फा. सं. 1/30/2015/पीआई]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना संख्यांक सा. का.नि. 735 (अ) तारीख 27 नवंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 152 (अ), तारीख 5 मार्च, 2009 सा.का.नि. 8(अ) तारीख 10 जनवरी, 2012 और सा.का.नि. 32(अ) तारीख 16 जनवरी, 2014, द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2016

G.S.R. 148(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 29A read with sub-section (1) of section 28D of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Chartered Accountants Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board Rules, 2006, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Chartered Accountants Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Chartered Accountants Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and Allowances of the Chairperson and Members of the Board Rules, 2006, in rule 9, in sub-rule(2), after clause (i) (ia), the following clause shall be inserted namely:-

“(ib) The Chairperson and Members nominated by the Central Government to the Board, shall not undertake any foreign tour without the prior approval of the Central Government. Whenever such a tour is proposed, the proposal should give full justification for the tour, including its purpose, necessity and the expected outcome of the tour for the consideration of the Central Government.

[F. No. 1/30/2015/PI]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 735(E), dated the 27th November, 2006 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 152(E), dated the 5th March, 2009, G.S.R. 8(E), dated the 10th January, 2012 and G.S.R. 32(E), dated the 16th January, 2014.